न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 104/2019

वादी

बनाम

प्रतिवादी

1. ढगलाराम पुत्र पेमाराम
2. जीताराम पुत्र पेमाराम
3. गवरीदेवी पत्नि पेमाराम
4. चौथी देवी पुत्री पेमाराम
5. चुन्नीदेवी पुत्री पेमाराम
   जातिगण सीरवी निवासीगण बेरा टीबड़ी, बगड़ी नगर तह0 सोजत जिला–पाली।

1. हीराराम पुत्र पेमाराम जाति सीरवी निवासी बेरा टीबड़ी, बगड़ी नगर तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।
2. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थितिः–

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. श्री प्रवीण कुमार अधिवक्ता प्रति सं0 1 व तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

दिनांक 15/09/2022

–: निर्णय :–

अधिवक्ता मय वादीगण ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम बगड़ी चक प्रथम, पटवार हल्का बगड़ी चक प्रथम, तहसील सोजत में वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 व अन्य सहखातेदारान की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। इस भूमि के खाता संख्या 528 के खसरा नंबर 2223 रकबा 4.5200 हैक्टर, खसरा नंबर 2224 रकबा 2.3500, खसरा नंबर 2225 रकबा 1.9200 हैक्टर, खसरा नंबर 2235 रकबा 1.8800 हैक्टर, खसरा नंबर 2236 रकबा 2.7000 हैक्टर, खसरा नंबर 2237 रकबा 2.3700 हैक्टर, खसरा नंबर 2238 रकबा 0.9300 हैक्टर, खसरा नंबर 2239 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा नंबर 2240 रकबा 0.1700 हैक्टर, खसरा नंबर 2241 रकबा 0.0300 हैक्टर कुल खसरा 10 तथा रकबा 16.8900 हैक्टर तथा खाता संख्या 253 के खसरा नंबर 1823 रकबा 7.2200 हैक्टर, खसरा नंबर 1833 रकबा 12.8700 हैक्टर, खसरा नंबर 1835 रकबा 0.4200 हैक्टर, खसरा नंबर 1836 रकबा 9.2600 हैक्टर, खसरा नंबर 1836/5116 रकबा 0.3000 हैक्टर, खसरा नंबर 1837 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा नंबर 1838 रकबा 0.2800 हैक्टर कुल खसरा 07 रकबा 30.3700 हैक्टर की कृषि भूमि स्थित है। उक्त वर्णित वादस्थ कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी की पुश्तैनी, हक हकूक की कृषि भूमि है। वादस्थ कृषि भूमि पद संख्या 1(अ) में पुरखा वल्द सेरा का 1/2 हक हिस्सा तथा पद संख्या 2(ब) में पुरखा वल्द सेरा का 1/8 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का था। पुरखाराम की वंशावली इस प्रकार है कि पुरखाराम पि0 सेरा (फौत) नेमाराम, पेमाराम पि0 पुरखाराम (फौत), पन्नाराम(पुत्र), आदाराम(पुत्र), डावरराम(पुत्र), भगाराम(पुत्र), भूराराम(पुत्र) पि0 नेमाराम, हीराराम(पुत्र), ढगलाराम(पुत्र), जीताराम(पुत्र), गवरीदेवी(पत्नि), चौथीदेवी(पुत्री), चुन्नीदेवी(पुत्री) पि0 पेमाराम पुरखाराम पुत्र सेरा के दो पुत्र नेमाराम व पेमाराम थे। पेमाराम का स्वर्गवास पुरखाराम के जीवनकाल में

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

ही हो गया था। उक्त वादस्थ कृषि भूमि के गत खसरा नम्बरान 2201/1, 2200, 2211, 2212, 2210 की जमाबंदी सम्वत 2029 से 2032 के अनुसार पुरखा, बाला पिसरान सेरा के नाम से खातेदारी दर्ज सुदा है। इसी प्रकार सेटलमेण्ट के दौरान उक्त कृषि भूमि के दर्ज खातेदार, पुरखा, बाला, पिसरान सेरा के स्थान पर पाबु वल्द बाला 1/4 तुलसा वल्द बाला 1/4, नेमा वल्द पुरखा 1/4 एवं हीरा वल्द पुरखा 1/4 हिस्सा अनुसार दर्ज कर दिया गया तथा पद संख्या 1(ब) में वर्णित कृषि भूमि में भी सेटलमेण्ट के दौरान पुरखा वल्द सेरा के स्थान नेमा वल्द पुरखा 1/16 हिस्सा एवं हीरा वल्द पुरखा 1/16 हिस्सा दर्ज कर दिया गया है। पुरखाराम के दो पुत्र नेमाराम व पेमाराम थे, पेमाराम का स्वर्गवास पुरखाराम से पहले हो जाने की वजह से सैटलमेण्ट के दौरान पुरखाराम के पौत्र हीराराम का नाम दर्ज कर दिया तथा राजस्व रेकर्ड खसरा मिलान में हीरा पुत्र पुरखा के नाम दर्ज कर दिया गया, जबकि हीरा पुत्र पुरखा नहीं होकर हीराराम पुत्र पेमाराम है। जो प्रतिवादी संख्या 01 है। उक्त वर्णित वादस्थ कृषि भूमि में सेटलमेण्ट के दौरान सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा पेमाराम के सभी विधिक वारिसान की जांच किये बिना प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज कर दिया गया तथा प्रतिवादी संख्या 01 पुरखाराम का पुत्र नहीं होकर पौत्र है, जो पेमाराम का बड़ा पुत्र है। वादी संख्या 01 व 02 पेमाराम के पुत्र है तथा वादी संख्या 03 पेमाराम पत्नी हैं वादी संख्या 04 व 05 पेमाराम की पुत्रिया है। सेटलमेण्ट अधिकारियों द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 का नाम नेमाराम के साथ ही दर्ज कर दिया गया। जो गलत दर्ज हुआ है। राजस्व रेकर्ड में जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 01 की वल्दीयत भी गलत अंकित कर दी गई है। वादस्थ कृषि भूमि पर पुरखाराम से प्राप्त पेमाराम के हक हिस्से की कृषि भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी रोक टोक व बाधा के काबिज काश्त चले आ रहे है। सेटलमेण्ट अधिकारियों द्वारा गलती से प्रतिवादी संख्या 01 की वल्दीयत गलत दर्ज करना एवं वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं करने से वादीगण को अपने जायज हक व अधिकारों से मेहरूम होना पड़ रहा है। सेटलमेण्ट के दौरान वादी संख्या 01 व 02 तथा 04 व 05 नाबालिग थे। जिस वजह से उक्त कृषि भूमि के संबंध में वादीगण को जानकारी नहीं थी। सेटलमेंट अधिकारियों के द्वारा पुरखाराम की सम्पति से प्राप्त पेमाराम की सम्पति में वादीगण का नाम इन्द्राज नहीं करने से वादीगण अपना नाम राजस्व रेकर्ड में अपना नाम इन्द्राज करवाने के अधिकारी है, चूंकि सेटलमेण्ट के दौरान बिना नामान्तकरण के सीधा खसरा मिलान में प्रतिवादी संख्या 01 अकेले के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने से एवं उसमें भी प्रतिवादी संख्या 01 की वल्दीयत गलत अंकित करने से आज दिन तक राजस्व रेकर्ड जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 वर्तमान खाता संख्या 528 में वर्णित कृषि भूमि में हिरा वल्द पुरखा 1/4 हिस्सा एवं वर्तमान खाता संख्या 253 में वर्णित कृषि भूमि में हिरा वल्द पुरखा का 1/16 हिस्सा अनुसार दर्ज कर दिया गया, जो लगातार चला आ रहा है। वाद पत्र के पद संख्या 1(अ) में वर्णित कृषि भूमि में हिरा वल्द पुरखा 1/4 हिस्सा के स्थान पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के नाम तथा वाद पत्र के पद संख्या 1(ब) में वर्णित कृषि भूमि में हिरा वल्द पुरखा 1/16 हिस्सा के स्थान पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के नाम खातेदारी घोषित करवाने का अधिकारी है। इसलिए यह वाद बाबत खातेदारी घोषणा का विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश है। बिनायदावा सेटलमेंट अधिकारियों के द्वारा पुरखाराम की सम्पति में से पेमाराम को प्राप्त हक हिस्से की कृषि भूमि वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं करने तथा हीरा वल्द पेमा के स्थान पर हिरा वल्द पुरखा गलत इन्द्राज करने से लगातार आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज चले आने से बिनायदावा लगातार उत्पन्न हुआ, जो यह वाद अन्दर म्याद पेश है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर वाद पत्र के पद संख्या 1(अ) तथा 1(ब) में वर्णित आराजी कृषि भूमि में दर्ज हिरा

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

वल्द पुरखा के स्थान पर हिराराम, ढगलाराम, जीताराम पुत्रान पेमाराम, गवरीदेवी पत्नी पेमाराम, चौथीदेवी, चुन्नीदेवी पुत्रीया पेमाराम के नाम से खातेदार घोषित किये जाने एवं राजस्व रेकर्ड में हिरा वल्द पुरखा के स्थान पर दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरूस्त किया जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते ज0दा0 तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार ने वकालतनामा व ईकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद पत्र के पद संख्या 1 से 4 को सही व स्वीकार होना बताया व पद संख्या 5 से 7 को कानूनी बताया तथा पद संख्या 8 में राजस्व रेकर्ड में शुद्धि किए जाने पर कोई आपति नहीं होना बताया। प्रतिवादी सरकार की ओर से तहसीलदार, सोजत ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर वर्णित तथ्यों में बिन्दू सं0 1 को स्वीकार होना बताया व बिन्दू सं0 2 व 3 वादी स्वयं सिद्ध करे तथा बिन्दू सं0 4 से 8 को कानूनी दर्शाते हुये तथ्य अंकित किये है।

बहस अधिवक्ता सूनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने व्यक्त किया कि वादस्थ भूमि में वादी के दादा पुरखाराम के दो पुत्र नेमाराम व पेमाराम थे, पेमाराम का स्वर्गवास पुरखारम से पहले हो जाने की वजह से सैटलमेण्ट के दौरान पुरखाराम के पौत्र हीराराम का नाम दर्ज कर दिया तथा राजस्व रेकर्ड खसरा मिलान में हीरा पुत्र पुरखा के नाम दर्ज कर दिया गया, जबकि हीरा पुत्र पुरखा नहीं होकर हीराराम पुत्र पेमाराम है। जो प्रतिवादी संख्या 01 है। उक्त वर्णित वादस्थ कृषि भूमि में सेटलमेण्ट के दौरान सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा पेमाराम के सभी विधिक वारिसान की जांच किये बिना प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज कर दिया गया तथा प्रतिवादी संख्या 01 पुरखाराम का पुत्र नहीं होकर पौत्र है, जो पेमाराम का बड़ा पुत्र है। राजस्व रेकर्ड में जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 01 की वल्दीयत भी गलत अंकित कर दी गई है। जिसे दुरूस्त किया जावे। जबाब बहस में अधिवक्ता प्रतिवादी ने माफिक ईश्तदुआ वाद डिक्री किये जाने में कोई आपति नही होना जाहिर किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ, जबाब दावा तथा फेहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता पर गौर कर मनन किया गया। अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र के संलग्न दस्तावेजात प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 खाता सं0 528, 253, प्रमाणित प्रतिलिपि खसरा मिलान, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी सम्वत 2029–2032 खाता सं0 577, 490 पेश किये, सा0 मिसल है। वस्तुतः मूल पुरूष पुरखा पुत्र सुरा के दो पुत्र नेमाराम व पेमाराम हुए किन्तु पुरखा राम के देहान्त के पश्चात नेमाराम का नाम 1/4 हिस्से मे सही रूप से दर्ज हुआ किन्तु पेमाराम के स्थान पर हीराराम का नाम दर्ज हो गया जबकि हीराराम पुरखाराम के पोत्र है जिसकी सहमति ईकबालिया जबाब दावा में प्रतिवादी 01 हीराराम स्वयं ने दी है। लिहाजा वादस्थ भूमि में हीराराम पुत्र पुरखाराम के स्थान पर हीराराम, ढगलाराम, जीताराम, गवरीदेवी, चौथीदेवी, चुन्नीदेवी को खातेदार घोषित किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा ग्राम बगड़ी चक प्रथम, तहसील सोजत में वादीगण, प्रतिवादी सं0 1 व अन्य सहखातेदारान की कब्जा काश्त की कृषि भूमि के जिसके खाता संख्या 528 के खसरा नंबर 2223 रकबा 4.5200 हैक्टर, खसरा नंबर 2224 रकबा 2.3500, खसरा नंबर 2225 रकबा 1.9200 हैक्टर, खसरा नंबर 2235 रकबा 1.8800 हैक्टर, खसरा नंबर 2236 रकबा 2.7000

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

हैक्टर, खसरा नंबर 2237 रकबा 2.3700 हैक्टर, खसरा नंबर 2238 रकबा 0.9300 हैक्टर, खसरा नंबर 2239 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा नंबर 2240 रकबा 0.1700 हैक्टर, खसरा नंबर 2241 रकबा 0.0300 हैक्टर कुल खसरा 10 तथा रकबा 16.8900 हैक्टर तथा खाता संख्या 253 के खसरा नंबर 1823 रकबा 7.2200 हैक्टर, खसरा नंबर 1833 रकबा 12.8700 हैक्टर, खसरा नंबर 1835 रकबा 0.4200 हैक्टर, खसरा नंबर 1836 रकबा 9.2600 हैक्टर, खसरा नंबर 1836/5116 रकबा 0.3000 हैक्टर, खसरा नंबर 1837 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा नंबर 1838 रकबा 0.2800 हैक्टर कुल खसरा 07 रकबा 30.3700 हैक्टर में दर्ज हिरा वल्द पुरखा के स्थान पर हिराराम, ढगलाराम, जीताराम पुत्रान पेमाराम, गवरीदेवी पत्नी पेमाराम, चौथीदेवी, चुन्नीदेवी पुत्रीया पेमाराम के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित कर दुरूस्त प्रवृष्टि का इन्द्राज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद दुरूस्त रूप से किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 15/09/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

वादी

1. ढगलाराम पुत्र पेमाराम
2. जीताराम पुत्र पेमाराम
3. गवरीदेवी पत्नि पेमाराम
4. चौथी देवी पुत्री पेमाराम
5. चुन्नीदेवी पुत्री पेमाराम
   जातिगण सीरवी निवासीगण बेरा टीबड़ी, बगड़ी नगर तह0 सोजत जिला–पाली।

बनाम

प्रतिवादी

1. हीराराम पुत्र पेमाराम जाति सीरवी निवासी बेरा टीबड़ी, बगड़ी नगर तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।
2. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0एक्ट 1955

राजस्व वाद संख्या :– 104/2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता वादी उपस्थित तथा श्री प्रवीण कुमार अधिवक्ता प्रति संख्या 01 व तहसीलदार सोजत पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा ग्राम बगड़ी चक प्रथम, तहसील सोजत में वादीगण, प्रतिवादी सं0 1 व अन्य सहखातेदारान की कब्जा काश्त की कृषि भूमि के जिसके खाता संख्या 528 के खसरा नंबर 2223 रकबा 4.5200 हैक्टर, खसरा नंबर 2224 रकबा 2.3500, खसरा नंबर 2225 रकबा 1.9200 हैक्टर, खसरा नंबर 2235 रकबा 1.8800 हैक्टर, खसरा नंबर 2236 रकबा 2.7000 हैक्टर, खसरा नंबर 2237 रकबा 2.3700 हैक्टर, खसरा नंबर 2238 रकबा 0.9300 हैक्टर, खसरा नंबर 2239 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा नंबर 2240 रकबा 0.1700 हैक्टर, खसरा नंबर 2241 रकबा 0.0300 हैक्टर कुल खसरा 10 तथा रकबा 16.8900 हैक्टर तथा खाता संख्या 253 के खसरा नंबर 1823 रकबा 7.2200 हैक्टर, खसरा नंबर 1833 रकबा 12.8700 हैक्टर, खसरा नंबर 1835 रकबा 0.4200 हैक्टर, खसरा नंबर 1836 रकबा 9.2600 हैक्टर, खसरा नंबर 1836/5116 रकबा 0.3000 हैक्टर, खसरा नंबर 1837 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा नंबर 1838 रकबा 0.2800 हैक्टर कुल खसरा 07 रकबा 30.3700 हैक्टर में दर्ज हिरा वल्द पुरखा के स्थान पर हिराराम, ढगलाराम, जीताराम पुत्रान पेमाराम, गवरीदेवी पत्नी पेमाराम, चौथीदेवी, चुन्नीदेवी पुत्रीया पेमाराम के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित कर दुरूस्त प्रवृष्टि का इन्द्राज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मुबलिग – बाबत ––

मीजान खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 15/09/22 को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			